

विभागांक बात :- एम.पी.स्टेट एजो कन्सोडोड कार्पो. लि. जगद (म.प.)
गोपालगंज - जगद

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2010-11

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : अजय कुमार चौधरी 2. वर्तमान धारित पद चिहठ विक्रय सहायक
3. वर्तमान वंतन 46257 DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख AUGUST-2011

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसों प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
म.नं: मा.क.सं. 26 उपम. गणेशिया नगर: पंडितदीन काल नगर मकरोविया एड. जिला - जगद (म.प.)	गृह म.प. गृह निर्माण गेजट जगद ले किया जगद (25x40 sq. feet) प्रथम मूल्य 269000/- रहित - 30000/- TOTAL 289000/- वर्ष 04. मे 54	-	5.00 लाख	स्वयं के नाम पर है	बैंक से कृपा लेकर किया किया Rs-225000/- ICICI बैंक लिमिटेड पिता से प्राप्त 130000/- (सेवानिवृत्त पश्चात)	निल	mm

* - जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवकों (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् वह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरे दें।

हस्ताक्षर अजय कुमार चौधरी 06/08/2010
नाम अजय कुमार चौधरी
पद चिहठ विक्रय सहायक
विभागांक :- एम.पी.स्टेट एजो कन्सोडोड कार्पो. लि.